सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 162/11 **निर्णय दिनांक 13.12.2017**

1. सुभाष पुत्र गणेशमल जाति सेठिया निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर

–अपीलांट

–बनाम–

1. छगनलाल
2. गणेशमल(फौत)
3. सूरजमल
4. माणकचन्द
5. दुलीचंद

पिसरान मेधराज जाति सेठिया निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा

6. सुरेश कुमार
7. मनोज कुमार

पिसरान गणेशमल जाति सेठिया निवासी डी–180 ग्राउण्ड फलोर, विवेक बिहार, फेज फस्ट, देहली.92

8. मु.सरोज पुत्री गणेशमल पत्नी मेधराज मरोठी, मरोठी चौक, नोखा
9. उपपंजीयक, नोखा
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 02.12.2011

2. अपील संख्याः 42/12

1. सुभाष पुत्र गणेशमल जाति सेठिया निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर

– अपीलांट

–बनाम–

1. गणेशमल (फौत) पुत्र मेधराज जाति सेठिया निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानरे।
2. सुरेश कुमार
3. मनोज कुमार

पिसरान गणेशमल जाति सेठिया निवासी डी–180 ग्राउण्ड फलोर, विवेक बिहार, फेज फस्ट, देहली.92

4. मु.सरोज पुत्री गणेशमल पत्नी मेधराज मरोठी, मरोठी चौक, नोखा
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा
6. उपपंजीयक, नोखा

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 02.12.2011

3. अपील संख्याः 43/12

1. सुभाष पुत्र गणेशमल जाति सेठिया निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर

–अपीलांट

–बनाम–

1. छगनलाल
2. गणेशमल(फौत)
2/1 शान्तिदेवी
3. सूरजमल
4. माणकचन्द
5. दुलीचंद

पिसरान मेधराज जाति सेठिया निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

6. सुरेश कुमार
7. मनोज कुमार

पिसरान गणेशमल जाति सेठिया निवासी डी–180 ग्राउण्ड फलोर, विवेक बिहार, फेज फस्ट, देहली.92

8. मु.सरोज पुत्री गणेशमल पत्नी मेधराज मरोठी, मरोठी चौक, नोखा
9. उपपंजीयक, नोखा
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 02.12.2011

उपस्थितः

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री आनन्द बजाज, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या

–निर्णय–

1. अपीलांट् द्वारा यह तीनो अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 02–12–2011 व निर्णय व प्राथमिक व फाईनल डिक्री दिनांक 02–12–20111 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र व दावा खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 225 व 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है। इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. (अ) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 162/11 जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, मे बहस करते हुए बताया कि आराजी जैर अपील वाके रोही गांव खेत खसरा नम्बर 260 तादादी 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 तादादी 2.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 तादादी 2.41 हेक्टर कुल तादादी 5.20 हेक्टर अपीलांट के दादा मेधराज की कृषि भूमि होने से अपीलांट का वादगत् भूमि में हक व हिस्सा हिन्दू लॉ के अनुसार बहिस्सा बराबर निहित है। अपीलांट के दादा के स्वर्गवास के बाद चढ़ा विरासतन इन्तकाल हिन्दू लॉ के अनुसार अपीलांट का नाम वादगत् भूमि में दर्ज नहीं किया गया जो कानून के विपरीत होने से कानून की निगाह में शून्य है। उक्त गलत अंकन का बेजा फायदा उठाने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को पक्षकार बनाकर वादगतृ भूमि का विभाजन अदालत मातहत से करवा लिया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08–08–200 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 20–12–2002 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांट को जैसे ही उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 28–06–2010 को अपीलांट की अपील आंशित स्वीकार करते हुए

प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए, जवाब दावा लेकर तनकियात् कायम पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

(ब) उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा अदालत हाजा के निर्णय से पूर्व ही वादगत् आराजी के विक्रय की योजना बनाई जा चुकी थी तथा वादगत् भूमि को बैय करने को तत्पर थे। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष टी.आई. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25—03—2011 को अपीलांट के पक्ष में जवाब आने तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये। दिनांक 08—04—2011 को पत्रावली अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की तलबी में चल रही थी तथा दिनांक 29—05—2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने जवाब पेश किया गया। अदालत मातहत ने बहस होने की अवधि तक नया आदेश प्रदान कर दिया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के वादगत् भूमि को बैय करने के मंसुबों पर पानी फिर गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अपने इरादों को अपना अलमीजामा पहनाने की नियत से अदालत हाजा के समक्ष अपील दिनांक 02—05—2011 को प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर दिनांक 05—05—2011 को वादगत् भूमि का कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः— विक्रय पत्र प्रथम छगनलाल खसरा नम्बर 703/569 तादादी 1.04 हेक्टर विक्रय दिनांक 05—05—2011 केता हनुमानप्रसाद, विकय्र पत्र द्वितीय सूरजमल खसरा नम्बर 702/261 तादादी 0.505 केता किशनलाल, विक्रय पत्र तृतीय सूरजमल खसरा नम्बर 702/261 तादादी 0.5342 हेक्टर केता कंचन पत्नी जयचन्द, विक्रय पत्र चतुर्थ माणकचन्द 704/261 तादादी 0.71 हेक्टर केता कमला पत्नी ईश्चरचन्द, विक्रय पत्र पंचम गणेशमल खसरा नम्बर 701/569 तादादी 1.04 हेक्टर केता पुष्पादेवी पत्नी ईश्वरचन्द। इसप्रकार वादगत् आराजी का विक्रय दौराने वाद किया गया है।

(स) अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत हाजा द्वारा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने की निगरानी किये जाने पर अपीलांट की निगरानी एडमिशन स्तर पर स्वीकार कर प्रकरण में अदालत मातहत के आदेश दिनांक 29—04—2011 की स्थिति बहाल कर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को तलब किये बिना अपीलांट का टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 02—12—2011 को निरस्त किया गया।

जबकि पत्रावली दिनांक 30—09—2011 को अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8 की तलबी में चल रही थी। दिनांक 14—10—2011 तलबी के बाद पत्रावली सीधे बहस में निर्धारित कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02—12—2011 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र जिसमें मुकदमा अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करवाने हेतु समय चाहा गया था फिर भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का टी.आई प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व टी.आई. नहीं दी जा सकती। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जबकि मामलें में प्राईमाफेसी प्रकरण अदालत हाजा के आदेश दिनांक 28—06—2010 जिसमें वादगत् भूमि को संयुक्त खातेदारी की भूमि मानते हुए अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर अपीलांट को प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना गया है। अदालत मातहत अदालत हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश के विरूद्व जाकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे। इस संबंध में आरआरडी 1978 पेज 425, ए.आई.आर. 1987 राज. पेज 36 पैरा 5 व 6, ए.आई.आर. 1970 एससी पेज 997 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि सीपीसी के सेक्शन 105(2) में यह अभिलिखित है कि जब अपर न्यायालय द्वारा कोई डायरेक्शन दिये जाते है तो अधिनस्थ न्यायालय की यह ड्यूटी है वह उक्त आदेशों की पालना करें। प्रस्तुत प्रकरण ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 52 के विरूद्व होने व लिस्सपेन्डेन्स से बाधित होने के कारण नल व वॉयड आदेश की परिभाषा में आता है। इस संबंध मं आरआरडी 1989 पेज 224 व ए.आई.आर 2007 पेज 73 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि:

Sale deed in respect of disputed land executed the pendency of litigation between the parties concerned is invalid-Proper entries made on the basis of the sale deed are of no value.

(द) अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि दौराने वाद किसी भी प्रकार का कोई बेचान किया जाता है तो ऐसा बेचान प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण इसे निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में आरआरटी 2013 एसएसी पार्ट ाा पेज 1033 पैरा 12, 14 की नजीर प्रस्तुत की गई। उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना बंटवारे व

बिना स्पेसिफिक खसरा नम्बरान् के बेचान किया है जो वॉयड बेचान की परिभाषा में आता है।

इस संबंध में आरआरडी 1985 पेज 655 व आरआरडी 1977 पेज 621 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि कोई भी प्रोपर्टी बिना स्पेसिफिक खसरा नम्बरान् के बेचान नहीं की जा सकती।

(य) अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 की तलबी में चल रही थी। अदालत मातहत द्वारा बिना तलबी के निर्णय पारित किया है। इस संबंध में आरआरडी 1980 पेज 48बी की नजीर प्रस्तुत की गई। प्रकरण में गणेशमल की मृत्यु दिनांक 27—12—2013 को हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में Subsiquent event को consider किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में ए.आई.आर. 1975 एसएसी पेज 10409 हेडनोट ए, ए.आई.आर. 1994 एससी पेज 800 व ए.आई.आर. 1980 पंजाब पेज 391 हेडनोट बी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

(र) विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील संख्या 42/2012 व 43/2012 में बहस करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि अपीलांट के दादा स्व. मेघाज की पैतृक सम्पति थी। इसलिए हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम व हिन्दु विधि के अनुसार अपीलांट का वादगत् भूमि पर हक व हिस्सा बाई बर्थ बनता है। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इंकार भी नहीं किया गया है। उक्त तथ्य को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28—06—2010 में भी स्वीकार किया गया है। जिसकी कोई अपील, निगरानी नहीं की गई। अतः उक्त निर्णय फाईनल हो चुका था। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वादगत् भूमि पर कोई अधिकार नहीं मानने में कानूनी गलती की है। जबकि अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह माना है कि वादगत् भूमि मेघराज के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि में अपीलांट का हक व हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम व हिन्दु विधि के अनुसार नहीं मानकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को खारिज किया गया है।

(ल) अदालत मातहत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तभी वाद रिजेक्ट किया जा सकता था जब आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेखित शर्ते पूरी होती हो। अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को आधार बनाकर स्कोप से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री प्रदत की है जो निरस्त योग्य है। जब अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री को अदालत हाजा द्वारा दिनांक 28–06–2010 को निरस्त कर दिया गया था तो उस स्थिति में राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति स्वतः रेस्पोडेन्ट क भाईयों द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के दावे से पूर्व की स्थिति कायम हो गई थी। उस स्थिति में अदालत मातहत ज्यादा से ज्यादा अपीलांट का दावा, दावे की ट्रायल धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित रख सकती थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील प्रदत करने में कानूनी भूल की है।

(व) अदालत मातहत द्वारा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 की अवहेलना करते हुए चूंकि वादी का पिता प्रतिवादी स्वयं ही की मौजूदगी में पौत्र को दावा प्रस्तुत करने का कतई अधिकार नहीं है क्योंकि हिन्दु सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उसक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है। इसलिए दावा बार्ड बाई लॉ की तारीफ में आता है। अदालत मातहत द्वारा दावे के निर्णय से पूर्व अदालत हाजा के आदेश दिनांक 28–06–2010 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि अदालत मातहत दावे का निर्णय तनकीयात कायम करके, साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर पारित करे। अदालत मातहत द्वारा अदालत हाजा के निर्णय के विपरीत जाकर अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की है।

1. आरआरडी 1997 पेज 1,
2. आरआरडी 1980 पेज 48,
3. आरआरडी 1980 पेज 670,
4. आरआरडी 1990 पेज 355,
5. आरआरडी 2002 पेज 178,
6. आरआरडी 2003 पेज 162,

7. आरआरडी 1977 पेज 470,
8. आरएलडब्ल्यू 1988 पेज 638,
9. आरआरडी 1983 पेज 213,
10. एआईआर 1980 (पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट) पेज 351,
11. ए.आई.आर. 1992 (केरला) पेज 373,
12. ए.आई.आर. 1986 (कलकत्ता) पेज 120,
13. ए.आई.आर. 1970(इलाहाबाद) पेज 309,
14. आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 720,
15. आरएलडब्ल्यू 1990 पार्ट II पेज 427,
16. आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 1395,
17. ए.आई.आर 2000 (बम्बई) पेज 161,
18. ए.आई.आर. 1987 राज. पेज 36

5. (ए) विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके गांव नोखा के पुराना खसरा नम्बर 349 जिसके नये खसरा नम्बर 260 तादादी 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 तादादी 2.66 हेक्टर व खसरा नम्बर 569 तादादी 2.41 हेक्टर इस प्रकार कुल तादादी 5.20 हेक्टर मेधराज द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06–01–1971 जो उप–पंजीयक नोखा के यहॉ दिनांक 07–101–1971 को पंजीबद्व हुआ के द्वारा खरीदशुदा भूमि थी। श्री मेघराज का स्वर्गवास दिनांक 18–05–1993 को हो गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मेघराज के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनके पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अकंन हो गया। श्री मेघराज के पॉच पुत्र क्रमशः– गणेशमल, सूरजमल, छगनलाल, माणकचन्द व दुलीचन्द थे। श्री मेघराज के स्वर्गवास के उपरान्त उनके पुत्र छगनलाल द्वारा एक वाद वादगत् भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 04–05–2001 को उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 08–08–2002 को व बाद प्रस्ताव फाईनल डिक्री दिनांक 20–12–2002 को पारित की गई। उक्त आदेश की अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 28–06–2010 को प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। उक्त प्रकरण आज दिनांक को भी उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रकरण संख्या 08/2011 के रूप दर्ज होकर आज दिनांक तक लम्बित चल रहा है।

(बी) उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा रिमाण्ड आदेश के तहत प्रस्तुत वाद में जवाब के साथ काउन्ट क्लेम पेश किया तथा साथ में धारा 212 आरटीए के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भी खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा राजस्व वाद में जवाब दावा के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया जो काउन्टर क्लेम एक रूप में दावा ही माना जाता है। जिस पर दावे के सभी प्रोविजन लागू होते है। चूंकि अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका था तो ऐसी स्थिति में अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बिना काउन्टर क्लेम से विचारणीय व पोषणीय ही नहीं है। अपीलांट का काउन्टर क्लेम यानी दावे के खारिज होने के पश्चात् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य व अस्तित्व नहीं रहता है। उक्त आदेश स्वमेव नलिटी हो जाता है तथा काउन्टर क्लेम खारिजी आदेश में मर्ज हो जाता है। इसलिए अपीलांट का कोई भी न्यायिक दृष्टांत मौजूदा प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने 2011 (4) सीसीसी 294 एससी हेडनोट 3 पैरा 9 व ए.आई.आर 2010 एससी पेज 3676 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। जिसमें यह अभिलिखित किया गया है किः

"Intrim Order if always merges in the final order to be passed in the case and if the writ petition is ultimately dismissed, the order stand nilified automatically."

(सी) अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने धारा 52 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के संबंध में कथन किया कि चूंकि अपीलांट का काउन्टर क्लेम आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज हो चुका था और जब वाद ही विचाराधीन नहीं है तो धारा 52 टी.पी.एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है। जहॉ तक धारा 8 हिन्दु सक्सेशन एक्ट का प्रश्न है, मौजूदा प्रकरण में अपीलांट का वादगत् भूमि पर कोई क्लेम साबित नहीं है ना ही अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति में धारा 8 हिन्दु सक्सेशन एक्ट के तहत उसे कोई अधिकार वादगत् भूमि पर प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में 2013(2) एपेक्स कोर्ट जजमेंट 218 एससी ए.आई.आर 2389 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

(डी) अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि चूंकि वादगत् भूमि स्व. मेघाज की खरीदशुदा भूमि थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान उनकी खरीदशुदा भूमि के एक मात्र मालिक व खातेदार काश्तकार हुए है। प्रकरण में अपीलांट का कथन कि उसके द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट द्वितीय के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका था जिसकी निगरानी संख्या 6081/2011 भी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उक्त निगरानी दिनांक 27–08–2012 को खारिज की जा चुकी थी। अपीलांट द्वारा तथ्यों को कन्सिल किया है तथा वह अपने कथनों से एस्टोपड है व कन्सिलमेंट ऑफ फैक्ट के आधार पर उसकी अपील खारिज योग्य है। वादगत् भूमि मेघराज की खरीदशुदा भूमि थी। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत उनके पुत्र गणेशमल, सूरजमल, छगनलाल, माणकचन्द व दुलीचन्द प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हुए। अपीलांट का अपने पिता गणेशमल के जीवनकाल मे उक्त वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए उसे काउन्टर क्लेम व अलग से वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं था। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलांट काउन्टर क्लेम व दावा इसी आधार पर खारिज किया है।

(ई) श्री मेघराज की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से एकमात्र मालिक व काबिज काश्तकार हुए तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने हक व हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी गई है। उक्त खरीदारों को अपीलांट द्वारा अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट का कोई हक व हिस्सा वादगत् भूमि में निहित न होने से व कोई राईट हासिल नहीं होने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं होने से विधि के अनुसार अपीलांट को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार हासिल नहीं होते है। ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 के तहत अधिनस्थ न्यायालय ने दावा व काउन्टर क्लेम सही खारिज किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत की है।

1. आरआटी 2009 पार्ट I पेज 162 पैरा 8, 9,
2. सीसीसी 1995 पार्ट II पेज 94 एपी एचएनए पैरा 13,
3. ए.आई.आर 2007 एससी 1808 पार्ट I,
4. आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II आरजे एससी पेज 1115
5. आरआरटी 2009 पार्ट I एससी पेज 360,
6. सीसीसी 1977 पार्ट IIII पेज 467 एससी,
7. सीएलटी 1999 पार्ट 11 मद्रास एससी,
8. आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट 2 पेज 1390 राज.,
10. डीएनजे 2011 पार्ट III राज. पेज 1376,
11. सीसीसी 2009 पार्ट III पेज 613 राज.,
12. ए.आई.आर 1987 एससी 1926 एच.एन. पैरा 4, 5,
13. आरएलडब्ल्यू 2010 पार्ट I पेज 140

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(1)** हस्तगत् प्रकरण वादगत् भूमि वाके गांव नोखा तहसील नोखा के पुराना खेत खसरा नम्बर 349 **जिसके नये खसरा नम्बर 260 तादादी 0. 13 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 तादादी 2.66 हेक्टर व खसरा नम्बर 569 तादादी 2.41 हेक्टर इस प्रकार कुल तादादी 5.20 हेक्टर मेधराज द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06—01—1971 जो उप—पंजीयक नोखा के यहॉ दिनांक 07—101—1971 को पंजीबद्व हुआ के द्वारा खरीदशुदा भूमि थी।** श्री मेघराज का स्वर्गवास दिनांक 18—05—1993 को हो गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट वादगत् भूमि का हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मौरूसी जायदाद के आधार पर उसका हक व हिस्से का अधिकार हासिल होते है।

(2) प्रकरण में वादगत् भूमि श्री मेघराज की खरीदशुदा भूमि के तथ्य को स्वीकार किया गया है। श्री मेघराज की मृत्यु उपरान्त उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनके पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा किये गये। हिन्दु उत्तराधिकारी के तहत श्री मेघराज के पॉच पुत्र क्रमशः गणेशमल, सूरजमल, छगनलाल, माणकचन्द व दुलीचन्द प्रथम श्रेणी के

उत्तराधिकारी हुए। **वादगत् आराजी में गणेशमल पुत्र मेघराज के नाम खसरा नम्बर 701/569 तादादी 1.04 हेक्टर भूमि खातेदार दर्ज रिकार्ड है।** उक्त वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत में दावा प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 08–08–2002 पारित किया गया। उक्त निर्णय की अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत किये जाने पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 28–06–2010 को अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त दावा आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन चल रहा है। उक्त रिमाण्ड दावे में अपीलांट व प्रतिवादीगण के हक व हकूकों का अधिकार तय किया जाना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील पोषणीय नहीं मानी जा सकती।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी इसी आधार पर खारिज किया गया है कि अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अतः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। चूंकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के तहत स्व. मेधराज के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई कानूनी भूल कारित नहीं है।

(3) जहॉ तक प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर पौत्र के अधिकार का प्रश्न है इस संबंध में धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी निम्नानुसार दर्शाये गये हैः–

1- Son,
2- daughter,
3- widow,
4- mother;
5- son of a predeceased son;
6- daughter of a predeceased son;

7- son of a predeceased daughter;
8- daughter of a predeceased son;
9- widow of a predeceased son;
10- son of a predeceased son of a predeceased son;
11- daughter of a predeceased son of a predeceased son;
12- widow of a predeceased son of a predeceased (son of predeceased daughter of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a predeceased son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased son)

(4) उपरोक्त विवरण के अनुसार अपीलांट हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत स्व. मेघराज के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आना स्पष्ट है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–09–2007 मास्टर गौरव सीकरी व अन्य बनाम श्रीमती कौशल्या सीकरी में अभिलिखित किया गया है कि:–

The above decision makes it clear that a son's son during the life time of the son, would not inherit from the grandfather.....the supreme court has categorically observed that the express words of a Section 8 of The Hindi Sucession Act, 1956 cannot be ignored and must prevail.

इसी प्रकार आरआरटी 2009 पार्ट I अब्दुलवासी बनाम अब्दुल कादिर व अन्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि:

Son has no right to claim division of ancestral property in presence of his father.

अदालत मातहत द्वारा भी अपीलांट का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया गया है कि हिन्दु सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उसके पिता की मृत्यु के उपरान्त ही उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है। जिसे पारित करने में अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा कोई गलती नहीं की है व अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत व विधि सम्मत आदेश है।

(5) हमने अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 02–12–2011 के स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि वादगत् भूमि मेघराज के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। श्री मेघराज के स्वर्गवास दिनांक 18–05–1993 को होने के उपरान्त वादगत् भूमि स्व. मेघराज के पुत्र गणेशमल, सूरजमल, छगनलाल, माणकचन्द व दुलीचन्द के नाम बहिस्सा बराबर रिकार्ड में दर्ज है।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उनके पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है। मेघराज की मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पतिउनके प्रथम श्रेणी के हेयर अर्थात उनके पुत्रों में निहित हो जाती है। वादगत् भूमि प्रथम श्रेणी के हेयर में निहित होने के पश्चात्उक्त आराजी पिता की मौजुदगी में पौत्र का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है।

अपीलांट सुभाष प्रथम श्रेणी का हेयर नहीं है। अतः अपीलांट सुभाष को कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं होने से अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है। इसी प्रकार आदेश 8 नियम 6 के अन्तर्गत भी काउन्टर क्लेम केवल मात्र वादी के विरूद्व लाया जा सकता है प्रतिवादीगण के विरूद्व नहीं किया जा सकता। इसप्रकार अपीलांट सुभाष को कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत स्वीकार करते हुए अपीलांट सुभाष का काउन्टर क्लेम अधिनस्थ न्यायालय ने उचित व न्यायसंगत रूप से खारिज किया है।

(6) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य आधार यह है कि वह स्व. मेघराज का पौत्र व स्व. गणेशमल का पुत्र होने के नाते वादगत् भूमि अपीलांट के दादा की कृषि भूमि रहने के कारण उसका हिन्दु विधि के अनुसार बराबर हिस्सा बनता है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि वादगत् भूमि स्व.

मेघराज की स्वअर्जित खरीदशुदा भूमि थी। जिसे स्व. मेघराज द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06–01–1971 क्रय किया गया था। स्व. मेघराज

की मृत्यु के उपरान्त वादगत् आराजी स्व. मेघराज के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अर्थात उसके पुत्रों में बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। अपीलांट जिस भूमि (पिता की) बाबत् दावा प्रस्तुत कर रहा है वह भूमि पिता की मृत्यु उपरान्त स्वतः ही उसमें निहित होनी थी।

(7) चूंकि स्व. मेधराज के पुत्रों द्वारा अपने हिस्से की भूमि का अपने जीवनकाल में ही छगनलाल द्वारा खसरा नम्बर 703/569 तादादी 1.04 हेक्टर विक्रय दिनांक 05–05–2011 श्री हनुमानप्रसाद को, सूरजमल ख्द्वारा खसरा नम्बर 702/261 तादादी 0.505 श्री किशनलाल को, सूरजमल खसरा नम्बर 702/261 तादादी 0.5342 हेक्टर श्रीमती कंचन पत्नी जयचन्द, माणकचन्द द्वारा 704/261 तादादी 0.71 हेक्टर श्रीमती कमला पत्नी ईश्चरचन्द, गणेशमल द्वारा खसरा नम्बर 701/569 तादादी 1.04 हेक्टर श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी ईश्वरचन्द को अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दी गई थी। इसप्रकार जब अपीलांट के पिता स्व.गणेशमल द्वारा अपने जीवनकाल में वादगत् भूमि में से अपने हिस्से की आराजी को बैय किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अपीलांट् को वादगत् भूमि के संबंध में कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलें बार्ड बाई लॉ होने व अपील की कोई लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होने के आधार पर खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

8. अतः बिन्दु संख्या 8 के मद संख्या 1 से 7 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपीलें (मय हर्जा खर्चा राशि 5000/–) खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–12–2011 व निर्णय व डिक्री दिनांक 02–12–2011 बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर